



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218994
CG-DL-E-01042020-218994

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1101]
No. 1101]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2020/चैत्र 12, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2020/CHAITRA 12, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

का.आ.1237(अ).—केंद्रीय सरकार, कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) के परिणामस्वरूप 25 मार्च 2020 से आरंभ होने वाली और 14 अप्रैल 2020 तक की लॉक डाउन अवधि से देश में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बीमा नियम, 1939 के नियम 59 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 फख की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में नीचे दिए अनुसार निर्देश देती है:-

“पालिसी धारक जिनके मोटरयान तृतीय पक्ष कार बीमा पॉलिसियों का 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान नवीकरण होना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) के परिणामस्वरूप व्याप्त स्थिति के कारण अपने नवीकरण प्रीमियम का समय पर संदाय करने में असमर्थ हैं, को अपने बीमा कर्ताओं को पॉलिसियों के नवीकरण के लिए 21 अप्रैल 2020 को या उससे पूर्व ऐसा संदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ताकि कानूनी मोटरयान तृतीय पक्षकार बीमा कवर उस तारीख से जारी रहे, जिस तारीख को पॉलिसी का नवीकरण देय है”।

2. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 14017/18/2020-बीमा-II]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

S.O. 1237 (E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 64VB of the Insurance Act, 1938, read with rule 59 of the Insurance Rules, 1939, the Central Government, having regard to the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), lockdown period of twenty-one days starting on and from 25th March, 2020 up to the 14th April, 2020 and in the public interest, hereby directs as under:-

“The policy holders whose motor vehicle third party insurance policies fall due for renewal during the period on and from the 25th March, 2020 up to the 14th April, 2020 and who are unable to make payment of their renewal premium on time in view of the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), are allowed to make such payment for renewal of policies to their insurers on or before the 21st April, 2020 to ensure continuity of the statutory motor vehicle third party insurance cover from the date on which the policy falls due for renewal.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication.

[F. No. 14017/18/2020-Ins-II]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2020

का.आ.1238(अ).—केंद्रीय सरकार, कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) के परिणामस्वरूप 25 मार्च 2020 से आरंभ होने वाली और 14 अप्रैल 2020 तक की लॉक डाउन अवधि से देश में व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बीमा नियम, 1939 के नियम 59 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 फख की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनहित में नीचे दिए अनुसार निर्देश देती है:-

“पालिसी धारक जिनकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों का 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 की अवधि के दौरान नवीकरण होना है और जो कोरोना वायरस रोग (कोविद-19) के परिणामस्वरूप व्याप्त स्थिति के कारण अपने नवीकरण प्रीमियम का समय पर संदाय करने में असमर्थ हैं, को अपने बीमाकर्ताओं को पॉलिसियों के नवीकरण के लिए 21 अप्रैल 2020 को या उससे पूर्व ऐसा संदाय करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है ताकि स्वास्थ्य बीमा कवर उस तारीख से जारी रहे, जिस तारीख को पॉलिसी का नवीकरण देय होता है”.

2. यह अधिसूचना उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 14017/18/2020-बीमा-II]

वंदिता कौल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2020

S.O. 1238(E).—In exercise of powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 64VB of the Insurance Act, 1938, read with rule 59 of the Insurance Rules, 1939, the Central Government, having regard to the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), lockdown period of twenty-one days starting from 25th March, 2020 to the 14th April, 2020 and in the public interest, hereby directs as under:-

“The policy holders whose health insurance policies fall due for renewal during the period on and from the 25th March, 2020 to the 14th April, 2020 and who are unable to make payment of their renewal premium on time in view of the prevailing situation in the country as a result of Corona Virus disease (COVID-19), are allowed to make such payment for renewal of policies to their insurers on or before the 21st April, 2020 to ensure continuity of the health insurance cover from the date on which the policy falls due for renewal.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication.

[F. No. 14017/18/2020-Ins-II]

VANDITA KAUL, Jt. Secy.